



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 24 राँची, बुधवार

12 श्रावण, 1944 (श०)

3 अगस्त, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ	भाग-4-झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क-स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5-झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9- विज्ञापन ---
भाग 3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**21 जुलाई, 2022**

संख्या-08/FSL(07)-08/2020- 3234,--विभागीय अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक-18.10.2019 द्वारा गठित झारखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के वैज्ञानिक सहायकों को सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पद पर प्रान्नति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति का निम्नरूपेण गठन करने का निर्णय लिया गया है:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | सदस्य झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची- | अध्यक्ष |
| 2. | प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची- | सदस्य |
| 3. | प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची- | सदस्य |
| 4. | निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची- | सदस्य |
| 5. | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनु०जाति/अनु० जनजाति के सदस्य- | सदस्य |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरुण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2022

सं०-10/विविध-812/2022- 2836--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक 20.04.2021 के द्वारा झारखण्ड अलग राज्य गठन हेतु चलाये गये आंदोलन के विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों/आश्रितों को सम्मानित करने एवं अनुमान्य सुविधाएँ प्रदान करने के निमित्त झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण त्रिसदस्यीय आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया। तदक्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-2502, दिनांक 14.07.2021 द्वारा आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु उक्त आयोग का गठन किया गया, जिसकी कार्यावधि एक वर्ष (दिनांक 13.07.2022 तक) निर्धारित है। लम्बित आवेदनों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में आयोग की कार्यावधि दिनांक 14.07.2022 के प्रभाव से अगामी दो वर्ष यथा दिनांक 13.07.2024 तक के लिए विस्तारित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई, 2022

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1206—श्री रमेश प्रसाद सिंह, श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1207--श्री अविनाश कृष्ण, श्रम अधीक्षक, राँची-1 को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री कृष्ण को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, राँची-1 का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1208-श्री धीरेन्द्र नाथ महतो, श्रम अधीक्षक, लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, साहेबगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1209--श्री एतवारी महतो, श्रम अधीक्षक, गुमला को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, पलामू के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री महतो को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, गढ़वा का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1210--श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, श्रम अधीक्षक, खूँटी को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, लातेहार के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1211--श्री पुनीत मिंज, श्रम अधीक्षक, सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री मिंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, सिमडेगा का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1212--श्री बबन कुमार सिंह, श्रम अधीक्षक, लातेहार को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, खूँटी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1213--श्री अनिल कुमार रंजन, श्रम अधीक्षक, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री रंजन को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, हजारीबाग एवं श्रम अधीक्षक, कोडरमा का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1214--श्री दिनेश भगत, श्रम अधीक्षक, फैकल्टी राज्य श्रम संस्थान, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, लोहरदगा का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०- 1215--श्री अरविन्द कुमार, श्रम अधीक्षक, चतरा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, घाटशिला एवं श्रम अधीक्षक, चतरा का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1216--श्री अभिषेक वर्मा, श्रम अधीक्षक, कोडरमा को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, रामगढ़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1217--श्री प्रवीण कुमार, श्रम अधीक्षक, धनबाद-1 को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, बोकारो-1 के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, बोकारो-2 एवं श्रम अधीक्षक, धनबाद-3 का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०- 1218--श्री रवि शंकर, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, देवघर को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०- 1219--श्री शैलेन्द्र कुमार शाह, श्रम अधीक्षक, देवघर को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, जामताड़ा का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०- 1220--श्री रंजीत कुमार, श्रम अधीक्षक, पाकुड़ को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक, धनबाद-1 के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, धनबाद का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०- 1221--श्री संजय आनन्द, श्रम अधीक्षक, गोड्डा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, दुमका का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०- 1222--श्री हरेन्द्र कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बोकारो को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, धनबाद-2 का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-II)श्र०नि०-1223--मो. अकीक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, दुमका का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई, 2022

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1188--श्रीमती नीरू कुमारी, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, खूँटी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1189--सुश्री पद्मा कुमारी, नियोजन पदाधिकारी, प्रवर्तन तंत्र, उप निदेशक नियोजन का कार्यालय, राँची को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गोड्डा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1190--श्री मनोज मनजीत, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय, बोकारो स्टील सिटी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1191--श्री श्रीराम बारी, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, बोकारो स्टील सिटी को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1192--श्रीमती प्रीती कुमारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, देवघर को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दुमका के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1193--श्री राहुल कुमार जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी नियोजनालय, सिंदरी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1194--श्री अजय कुमार, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी नियोजनालय, घाटशिला के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1195--श्री पंकज कुमार झा, नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, घाटशिला को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, साहेबगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री झा को अपने कार्यों के अतिरिक्त नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, ललमटिया का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1196--श्रीमती ज्योत्सना दास, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, सरायकेला-खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1197-- श्री बम बैजु, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, खूँटी को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय, जमशेदपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1198--श्री संदीप किस्पोड़ा, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, चक्रधरपुर के पद पर पदस्थापित अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1199--श्री अश्विनी कुमार सिंह जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गुमला को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजनालय, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1200--श्री आशा मैक्सीमा लकड़ा, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1201--श्री संतोष कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, डाल्टेनगंज को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, बोकारो थर्मल के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1202--श्री प्रकाश बैठा, नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, सिन्दरी को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, देवघर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1203--श्री राजेश कुमार, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दुमका को स्थानान्तरित करते हुए नियोजन पदाधिकारी प्रवर्तन तंत्र, उप निदेशक (नियोजन) का कार्यालय, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1204--श्री धनंजय कुमार, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, डाल्टेनगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो.)-4035/2005(खण्ड)श्र०नि०-1205--श्री रवि कुमार, नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, चांडिल को स्थानान्तरित करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, चांडिल का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

21 जून, 2022

संख्या-1/विविध-886/2005 का० -3780--श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13.06.2022 से 17.06.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12.06.2022 के रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 जून, 2022

संख्या-1/विविध-807/2022 का०- 3644--श्री सतीश चन्द्र चौधरी, भा.प्र.से. (झा: 2012), संयुक्त सचिव सह संयुक्त निदेशक, राज्य विकास परिषद, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड को निजी कार्य से निजी व्यय पर विदेश (यू.एस.ए.) की यात्रा की अनुमति एवं अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम- 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-17.05.2022 से 31.05.2022 तक कुल 15 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश (Ex India Leave) की स्वीकृति, दिनांक-15.05.2022 एवं 16.05.2022 के राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाश के उपभोग करने की अनुमति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 जून, 2022

संख्या-1/विविध/803/2018 का० 3612--श्रीमती विप्रा भाल, भा०प्र०से० (झा:2006), निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13.06.2022 से 17.06.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 11.06.2022, 12.06.2022, 18.06.2022 एवं 19.06.2022 के शनिवारीय रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 जून, 2022

संख्या-1/विविध-833/2016 का० -3934--श्रीमती अंजली यादव, भा.प्र.से. (झा:2015), उपायुक्त, चतरा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.07.2022 से 06.07.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 30.06.2022 एवं 01.07.2022 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

4 जुलाई, 2022

संख्या-1/विविध-818/05 पार्ट का० - 3937--श्री के०के० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (झा:1988), अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 07.07.2022 से 13.07.2022 तक कुल 07 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 जून, 2022

संख्या-1/विविध-804/2018 का० -3611--श्री जितेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (झा:2008), निदेशक, उद्योग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13.06.2022 से 17.06.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12.06.2022 के रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KUMARI RUPA अन्य नाम RUPA PRASAD पति KUMAR PANKAJ, शपथ पत्र सं० 735, दिनांक 27 जून, 2022 के अनुसार KUMARI RUPA के नाम से जानी जाऊँगी ।
KUMARI RUPA एवं RUPA PRASAD दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - B.A.U. CAMPUS,
CIP - 94, DEMONSTRATUR COLONY,
P.O.& P.S - KANKE,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834006
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KUMAR PANKAJ, SHRIJAN BARDIYAR (अन्य नाम SRIJAN) का पिता शपथ पत्र सं० 378, दिनांक 7 जून, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा SHRIJAN BARDIYAR (जन्म तिथि 24 दिसम्बर, 2007) के नाम से जाना जायेगा ।
SHRIJAN BARDIYAR एवं SRIJAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - FLAT NO. 101,
ANUSHKA APPARTMENT,
CHANDWE, KANKE ROAD,
P.O.- RANCHI UNIVERSITY,
P.S.- GONDA,
DIST- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRADEEP KUMAR ROY, SHIVAM SHIV ROY (अन्य नाम SHIVAM ROY, SHIVAM SHIV) का पिता शपथ पत्र सं० 43, दिनांक 5 मई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा SHIVAM SHIV ROY (जन्म तिथि 15 अक्टूबर, 2007) के नाम से जाना जायेगा ।

SHIVAM SHIV ROY एवं SHIVAM ROY, SHIVAM SHIV तीनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - NEAR HARI MANDIR,
WATER BOARD COLONY,
HIRAPUR,
P.O.& P.S - DHANBAD,
DIST- DHANBAD,
PIN - 826001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHEETAL MURMU अन्य नाम SHITAL MURMU पिता RAMCHAND MURMU, शपथ पत्र सं० 996, दिनांक 30 जुलाई 2022 के अनुसार SHEETAL MURMU के नाम से जाना जाऊँगा ।

SHEETAL MURMU एवं SHITAL MURMU दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - HOUSE NO. - 166,
VILL. - CHILGO,
P.S.- CHANDIL,
DIST- SERAIKELA KHARSAWAN,
PIN - 832401,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं P. REBECCA अन्य नाम REBECCA JASHWANT पिता PROF. (DR.) SATRUGHNA PRASAD PANDEY, पति NISHANT JASHWANT, शपथ पत्र सं० 7897, दिनांक 20 मई, 2022 के अनुसार P. REBECCA के नाम से जानी जाऊँगी।

P. REBECCA एवं REBECCA JASHWANT दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MH/242-E, AZAD NAGAR,
P.O.- MAITHON DAM, O.P. MAITHON,
P.S - CHIRKUNDA,
DIST.- DHANBAD,
PIN - 828207
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAMESH MAHTO अन्य नाम DUKHAN MAHTO पिता Late BABULAL MAHTO, शपथ पत्र सं० 47, दिनांक 2 अप्रैल 2022 के अनुसार RAMESH MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

RAMESH MAHTO एवं DUKHAN MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - LAWATU TOLI, PUNDAG,
DIST- RANCHI,
PIN - 834004,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAHUL RAUNIYAR, YUVAAN RAUNIYAR (अन्य नाम REYANSH RAUNIYAR) का पिता शपथ पत्र सं० 0229, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा YUVAAN RAUNIYAR (जन्म तिथि 24 अक्टूबर, 2017) के नाम से जाना जायेगा ।

YUVAAN RAUNIYAR एवं REYANSH RAUNIYAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - 34 E, LAXMI NARAYAN COMPLEX MADHUKAM,
BESIDE RELIANCE FRESH,
RATU ROAD,
P.O - HEHAL,
P.S - SUKHDEONAGAR,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं HARENDRA SINGH, AYANSH SARBJIT SINGH (अन्य नाम KANHAIYA SARBJIT SINGH) का पिता शपथ पत्र सं० 47, दिनांक 7 जुलाई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा AYANSH SARBJIT SINGH (जन्म तिथि 6 मई, 2008) के नाम से जाना जायेगा ।

AYANSH SARBJIT SINGH एवं KANHAIYA SARBJIT SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - DHAIYA KHATAL ROAD, DHAIYA,
P.O - ISM, DHANBAD,
PIN - 826004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं TARUN BAXLA अन्य नाम TARUN BACKHLA पिता Late CHARWA BACKHLA, शपथ पत्र सं० 512, दिनांक 19 जुलाई 2022 के अनुसार TARUN BAXLA के नाम से जाना जाऊँगा।
TARUN BAXLA एवं TARUN BACKHLA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PRESENT RESIDENT OF - SAMLONG CHOWK, NEAR OXFORD SCHOOL,
P.O.& P.S.- NAMKUM,
RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND.

RESIDENT OF - VILLAGE- KACHA BARI,
P.O - BINGAON,
P.S. - KARRA,
DIST- KHUNTI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJBUL KHATOON अन्य नाम MASOMAT RAJIYA KHATOON पति MD. ILIYAS, शपथ पत्र सं० 193, दिनांक 19 जुलाई, 2022 के अनुसार RAJBUL KHATOON के नाम से जानी जाऊँगी।

RAJBUL KHATOON एवं MASOMAT RAJIYA KHATOON दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NAYADIH JALWABAD,
P.O.& P.S.- KODERMA,
DIST.- KODERMA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ASHISH KUMAR, पिता Late PRAMOD KUMAR SINGH, SANU KUMAR (अन्य नाम SHREYANSH SHRESTHA) का बड़ा भाई शपथ पत्र सं० 470, दिनांक 16 अप्रैल, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा भाई SHREYANSH SHRESTHA (जन्म तिथि 6 अप्रैल, 2006) के नाम से जाना जायेगा ।

SHREYANSH SHRESTHA एवं SANU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - C-1, ANJU SANJAY APPARTMENT,
BARGAIN ROAD,
P.O - BARIATU,
P.S. - SADAR,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं EKTA GANDHI अन्य नाम EKTA SAHA पिता SRI YAMUNA PRASAD, पति SRI MANOJ GANDHI, शपथ पत्र सं० 926, दिनांक 10 मई, 2022 के अनुसार EKTA GANDHI के नाम से जानी जाऊँगी ।

EKTA GANDHI एवं EKTA SAHA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - OPP. HOLY CROSS CONVENT,
BURDWAN COMPOUND,
P.O.& P.S - LALPUR,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SISTER ASEEMA TOPPO अन्य नाम KUM ANNA BENEDICT TOPPO पिता BENEDICT TOPPO, शपथ पत्र सं० 15205, दिनांक 11 जुलाई, 2022 के अनुसार SISTER ASEEMA TOPPO के नाम से जानी जाऊँगी ।

SISTER ASEEMA TOPPO एवं KUM ANNA BENEDICT TOPPO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - ST. JOSEPH CONVENT
VILL.- AMBWATOLI,
P.O.& P.S - MAUADANR,
DIST.- LATEHAR,
JHARKHAND.
